कलेक्टर ने हरियालो राजस्थान व मानसून से निपटने के लिए अधिकारियों की ली बैठक

खैरथल किशनगढ़ बास टपूकड़ा और भिवाड़ी में कलेक्टर ने औचक कार्यालयों का निरीक्षण किया

खैरथल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने खैरथल टपूकड़ा किशनगढ़ बास व भिवाड़ी में सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन के कार्यों को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से पूर्ण करें।

किशनगढ़ बास में तहसील निरीक्षण पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने तहसीलदार नरेंद्र भाटिया को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, धारा 91, 90 ए एवं म्यूटेशन से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। सीमाज्ञान, सहमति एवं बंटवारे के मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने तहसील भवन की जर्जर हालत को देखते हुए एसडीएम मनीष जाटव व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता को अविलंब मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष परमानंद लखवाणी के साथ व्यापारियों ने पहुंचकर कलेक्टर का स्वागत किया।

खैरथल में नगर परिषद निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने, रिकॉर्ड संधारण में पारदर्शिता बरतने एवं सभी शाखाओं में नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिकारी मुकेश शर्मा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए व शहर में सफाई व्यवस्था व अतिक्रमण को लेकर जानकारी ली और सफाई व्यवस्था को सचारू बनाए रखने व अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। टपूकड़ा में उप पंजीयन कार्यालय का निरीक्षण किया। वहां कलेक्टर ने तहसीलदार को पुराने प्रकरणों की वसूली करने तथा राजस्व लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने फूल बाग पुलिस थाने का निरीक्षण किया व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कानून व्यवस्था, सुरक्षा उपाय और पुलिस संसाधनों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने बंदीगृह, मालखाना, रिकॉर्ड शाखा और शिकायत कक्ष जैसी प्रमुख इकाइयों का निरीक्षण किया। साफ-सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थापन पर संतोष व्यक्त करते हुए कुछ सुधारात्मक निर्देश भी दिए। उन्होंने पुलिस बल की उपलब्धता, तैनाती, रिक्त पदों की स्थिति और उनकी भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके साथ जिला कलेक्टर ने बीड़ा सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरियालो राजस्थान एवं आगामी मानसून में जल भराव से निपटने व सघन वृक्षारोपण करने हेतु सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा अतुल प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी सुमित्रा मिश्र, डीएफओ राजेंद्र हुड्डा, मुख्य स्टेकहोल्डर्स, औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि, वन विभाग सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर किशोर कुमार का स्वागत करते व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष परमानंद लखवाणी, एसडीएम मनीष जाटव, तहसीलदार नरेंद्र भाटिया व व्यापारी।

संक्षिप्त

कार्यशाला का आयोजन

भरतपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से विभिन्न सेक्टर में निवेश बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु शुक्रवार को निजी होटल में जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, भरतपुर के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण योजनाओं तथा नीतियों के संबंध में उद्यमियों और निवेशकों को विस्तार से जानकारी दी गई। जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने कहा कि भरतपुर एवं डीग जिले में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

गेंहू एवं चावलों से भरा ट्रक शांतिकुंज हरिद्वार भिजवाया

श्रीमाधोपुर। गायत्री शक्तिपीठ अजीतगढ़ की ओर से खाद्य सामग्री से भरा ट्रक शांतिकुंज हरिद्वार के लिए हरि झंडी दिखाकर वयोवृद्ध गायत्री उपासक घनश्याम पारीक के नेतृत्व में गायत्री भक्तों ने रवाना किया। इस मौके पर पारीक ने कहा कि शांतिकुंज हरिद्वार स्थित गायत्री शक्तिपीठ के लिए खाद्य-सामग्री भेजने का क्रम अनवरत कई वर्षों से चला आ रहा है जिसमें भक्तों , श्रद्धालुओं के सहयोग से सामग्री एकत्रित की जाती है और सीधे ही ट्रक द्वारा शांतिकुंज हरिद्वार भेजी जाती है।

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक/ज.वि.प्रा./आ./पी.आर.एन (दक्षिण-प्रथम)/2025/डी-547 दिनांक: 16.05.2025

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीड धारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री शुभम कर्नावट पुत्र श्री प्रमोद कर्नावट	श्री सुभाष बैताला पुत्र श्री पाल सिंह बैताला	27	356.66	दी फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.	नागौर नगर	नियमन/लीज डीड	रजि. उपहार पत्र

यदि उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें। आयुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम) जविप्रा, जयपुर

न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 3 जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर

वाद संख्या civil suit /2784/2025

श्रीमती नीरा आपटे पत्नी श्री हरीश भडसावले उर्फ हरीश कुमार भडसावले. आयु 50 वर्ष, निवासी बी 51, जे. एम. जे. ज्वैलर्स के पास वाली गली, वैशाली नगर, जयपुर। वादीया

बनाम

(1) निमिषा भडसावले पुत्री श्री हरीश भडसावले उर्फ हरीश कुमार भडसावले, आयु 22 वर्ष, निवासी बी 51. जे. एम. जे. ज्वैलर्स के पास वाली गली, वैशाली नगर, जयपुर।

(2) आम जन साधारण

वाद बाबत घोषणा करवाये जाने सिविल मृत्यु

बनाम-आम जन साधारण

उक्त वादीया ने इस न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र श्री हरीश भडसावले उर्फ हरीश कुमार भडसावले, निवासी बी 51. जे. एम. जे. ज्वैलर्स के पास वाली गली, वैशाली नगर, जयपुर, जो पिछले सात वर्ष से भी अधिक समय से लापता है, जिसकी इस अवधि के दौरान किसी भी ने कोई खबर या जीवित होने की सूचना नहीं दी जिस बाबत वादीया ने उनकी सिविल मृत्यु घोषित किये जाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अत्त: एतद द्वारा आम जन साधारण को सूचना दी जाती है कि श्री हरीश भडसावले उर्फ हरीश कुमार भडसावले की सिविल मृत्यु की घोषणा न्यायालय द्वारा की जाने में किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 31.05.2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जाहिर करे। यह आज दिनांक: की मुद्रा 16.05-25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

मोहर अदालत

प्रस्तुतकार
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-3
जयपुर हस्ताक्षर

नाम परिवर्तन

I Mukesh Kumar Kumawat S/o Hanuman Lal Kumawat R/o 34, Marg A-4, Kumawat Colony, Jhotawara Jaipur 302012. I have change my name from Mukesh Kumar to Mukesh Kumar Kumawat. In future known me Mukesh Kumar Kumawat.

मैं आर्मी नं. 15686006M रैंक- हवलदार जितेन्द्र चौहान पुत्र शिवचंद निवासी- ओन्हाईच, पोस्ट-बगली, पिजरा, तह.-सदर, मऊ ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी माताजी का नाम देवन्ती देवी (Deventi Devi) से बदलकर देवन्ती देवी (Dewanti Devi) व जन्मतिथि 01-07-1961 से 01-01-1960 कर लिया है।

मैंने अपना नाम अशोक कुमार अग्रवाल से बदलकर अशोक अग्रवाल पुत्र स्व. कन्हैयालाल अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। B-57, प्रगति पथ, बजाज नगर, जयपुर।

मैंने अपना नाम अनुह्या के स्थान पर अनुह्या शर्मा रख लिया। अत: भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जायें। B-348, महेश नगर, जयपुर

मैंने अपना नाम करण राज सिंह से बदलकर करण राज सिंह झाला कर लिया है जैसा कि मेरे आधारकार्ड में दर्ज है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये। पता: प्लॉट नं. 102, सोनू अपार्टमेंट-21, रॉयल सिटी, कालवाड़ रोड, जयपुर-302012, Mob. 9660323309

मैंने अपना नाम धर्म सिंह से बदलकर धर्म सिंह चौधरी कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पता: जाटो की ढाणी, सरकारी स्कूल के पास, सांगानेर, जयपुर

मैं माणक चंद शर्मा, नंबर JC351135H, SUB/Cipher, मुख्यालय 9 सेक्टर असम राइफल्स PPO 234981407136 से सेवानिवृत्त हूं। मैं अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी बेटी का नाम खुशबू कुमारी से बदलकर खुशबू शर्मा और उसकी जन्मतिथि 07.09.1985 करवाना चाहता हूं। निवासी 684, जाट के कुवे का रास्ता, चांदपोल, जयपुर-302001

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अपर जिला न्यायधीश ने उपकारागृह का किया निरीक्षण

अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश दिनेश कुमार जलुथरिया ने उपकारागृह मालपुरा मे निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कारागृह मे कुल 33 बंदी पाये गये

मालपुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक सचिव एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश दिनेश कुमार जलुथरिया ने शुक्रवार को उपकारागृह मालपुरा मे निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य प्रहरी अब्दुल वहाब ने न्यायधीश को कारागृह की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान कारागृह मे कुल 33 बंदी पाये गये। न्यायधीश द्वारा बंदियों का कारागृह मे मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं व बंदियो से उनके मुकदमे की स्थिति एवं अधिवक्ता के संबंध मे जानकारी लेते हुये कहा कि अधिवक्ता न कर पाने की स्थिति मे नि:शुल्क विधिक सहायता के तहत प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। निरीक्षण के दौरान जमानत होने के बावजूद उपकारागृह मे निरूद्ध विचाराधीन बंदियो को जमानत शर्तो के मुताबिक जमानत मुचलके पेश करने एवं आवश्यक विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये।

उपकारागृह मे संचालित विधिक सेवा क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही संधारित रजिस्टर की भी जांच कर मुख्य प्रहरी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

खाद्य पदार्थों के 50 नमूने जांच में मिले अवमानक

अलवर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि जिले में मिलावटीखोरी पर लगाम लगाने हेतु चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत 1 अगस्त 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक खाद्य पदार्थों के 128 नमूने जांच हेतु लिए गए जिनमें से 50 नमूने अवमानक स्तर के पाये गए।

उन्होंने बताया कि रामगढ में बहादुरपुर रोड स्थित मैसर्स चौधरी डेयरी, दिल्ली-मुम्बई हाईवे पर लक्ष्मणगढ में मैसर्स श्री श्याम फैसिलिटी मैनजमेंट प्रा.लि, रामगढ के खालसा मार्केट में मैसर्स प्रजापति पनीर भंडार, लक्ष्मणगढ के बडोदामेव मैन मार्केट में मैसर्स खंडेलवाल एंटरप्राइजेज, बनबीरपुर में मैसर्स जेएसके फूड्स, अलवर में बस स्टैण्ड पर मैसर्स हनुमान पवित्र ढाबा एवं मैसर्स बाबा दा पराठा, लक्ष्मणगढ में निजाम नगर रोड स्थित मैसर्स कृष्णा डेयरी, नीमराणा में पुरानी सब्जी मंडी के पास मैसर्स बाबा डेयरी, खैरथल में हरसौली रोड स्थित मैसर्स ओम मिष्ठान भंडार, कोटकासिम में मैसर्स सोनू रसगुल्ला भंडार, कोटकासिम के भौकर में मैसर्स प्रदीप रसगुल्ला भंडार, सिलीसेरघ किशनपुर में मैसर्स साने रेजिडेंसी प्रा.लि, बानसूर में मैसर्स प्रिंस सरस लोटस एजेन्सी, तिजारा में अलीम शाह, तिजारा में गणपति सिनेमा के सामने मैसर्स दया मिष्ठान भंडार, तिजारा में विकास पथ पर मैसर्स मानसी मावा भंडार, तिजारा में मैसर्स श्याम डेयरी एवं फूड प्रोडेक्टस तथा तिजारा में बस स्टैण्ड बाइपास आरजे 40 रेस्टोरेंट से लिए गए पनीर के नमूने जांच रिपोर्ट में अवमानक पाए गए। इसी प्रकार अलवर के हाउसिंग बोर्ड में मैसर्स प्रीमियम बाल्साम मोसा ग्रुप से घाट मसाला, अलवर में वीर चौक में मैसर्स नन्दू जी स्वीट्स से बेसन के लड्डू, अलवर में अटा वाली गली में मैसर्स सौभाग्य ट्रेडर्स व थानागाजी में मैसर्स जय मातादी किराणा स्टोर से रेड चिल्ली पाउडर, धोबी गट्टा में मैसर्स बालाजी मिष्ठान भंडार से पतिसा मिठाई, अलवर में 60 फुट रोड स्थित मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से नारियल लड्डू, तिजारा में मैसर्स विवेक सैनी से प्रयोग किया हुआ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, नीमराना में मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भंडार व बानसूर में मैसर्स यादव कॉफी टी स्टोल और मिष्ठान भंडार से मावा, तिजारा में मैसर्स विशाल किराणा स्टोर से खुला हुआ मिर्च पाउडर, टपूकडा में मैसर्स यादव रसगुल्ला भंडार, तिजारा में मैसर्स श्याम डेयरी एण्ड फूड प्रोडेक्टस व कोटकासिम के भोकर में मैसर्स प्रदीप रसगुल्ला भंडार से रसगुल्ला, अलवर में स्टेशन रोड के पीछे मैसर्स सैनी मिष्ठान भंडार, किशनगढबास में मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भंडार व भर्तृहरि धाम स्थित मैसर्स बलराम सैनी से बर्फ, अलवर में 60 फुट रोड स्थित मैसर्स खंडेलवाल किराणा स्टोर से हल्दी पाउडर तथा बहरोड में मैसर्स खुशी होटल एण्ड रेस्टोरेंट से मिक्स मिल्क के नमूनों की जांच रिपोर्ट में अवमानक पाए गए। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूना जांच रिपोर्ट में अवमानक पाए जाने पर प्रकरण में 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है एवं खाद्य पदार्थों के नमूने जांच रिपोर्ट में असुरक्षित पाए जाने पर कारावास की सजा का प्रावधान है।

जिलाध्यक्ष पद के चुनाव कल

निवाई। अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पद के लिए 25 मई को चुनाव संपन्न होंगी। जिसकी तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। जिलाध्यक्ष प्रत्याशी कालूराम जांगिड़ ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान करवाने के लिए 2 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिसको लेकर निवाई विश्वकर्मा मंदिर व टोंक में विश्वकर्मा मंदिर में बूथ स्थापित किए है। उन्होंने बताया कि कुल 917 मतदाता रविवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान करेंगे। उसी दिन 5:30 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।कालूराम जांगिड़ व हनुमान जांगिड़ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर सभी मतदान केन्द्रों पर उम्मीदवारों व समर्थकों को जगह देने के लिए बूथों पर स्थान चिन्हित किए एवं सभी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

जरूरतमंदों के लिए युवाओं ने किया रक्तदान

'नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है'

शाहपुरा। शहर के रजनीश हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में शुक्रवार को भीषण गर्मी में रक्त की कमी व जरूरतमंदों के लिए युवाओं ने रक्तदान किया। डॉ. रजनीश शर्मा ने बताया कि बिदारा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ पूरणमल बुनकर की प्रेरणा से बिदारा निवासी साधुराम वर्मा, कम्प्यूटर अनुदेशक सांवर मल सैन,मुकेश कुमार बुनकर शंकर कॉलोनी निवासी व्याख्याता विजय चौपडा आदि ने पहली बार रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित किया।

उन्होंने बताया कि रजनीश हॉस्पिटल ब्लड बैंक की ओर से अब तक 3567 यूनिट का वितरण किया जा चुका है। इस अवसर पर डॉ रजनीश शर्मा ने युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरा कम हो जाता है। खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है। जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। अवसर पर डॉ.बुनकर ने कहा कि हमें कम से कम वर्ष में एक बार तो रक्तदान करना ही चाहिए। ताकि रक्त की कमी से मरने वाले लोगों को जीवनदान मिल सके। अस्पताल निदेशक डॉ रजनीश शर्मा, प्रबंधन वैभव शर्मा, सुशीला देवी, लोकेश बुनकर,लालचंद सैनी आदि ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मान किया। इस दौरान शिक्षक मनोज कुमार बुनकर, शिक्षक रामस्वरूप वर्मा,विजय कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बयाना/भरतपुर। रूपवास क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुरेन्द्र कसाना ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम बयाना के उपखण्ड अधिकारी दीपक मित्तल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें खनन माफियाओं की मनमानी और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए गए हैं।रॉयल्टी ठेकेदार अवैध तरीके से अधिक रॉयल्टी वसूल रहे हैं न तो रॉयल्टी नाकों पर ई-रसीद दी जा रही है और न ही पहचान पत्रधारी कार्मिक मौजूद हैं। ठेकेदारों द्वारा खदान से निकलने वाले कच्चे माल के बजाय क्रेशर से निकलने वाले पक्के माल पर रॉयल्टी वसूलना भी नियमों के विरुद्ध बताया गया है। ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, राजस्थान सरकार के खनिज एवं पर्यावरण मंत्री, शासन सचिव, सम्भागीय आयुक्त भरतपुर, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को भेजी गई है।

ग्रामीणों ने पेयजल समस्या पर जताई नाराजगी, सौंपा ज्ञापन

निवाई। ग्राम पंचायत पलेई में तहसीलदार नरेशकुमार गुर्जर की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमे ग्रामीणों ने तहसीलदार गुर्जर को पेयजल समस्याओं से अवगत करवाया। जनसुनवाई में तहसीलदार गुर्जर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष दशरथसिंह चौहान के नेतृत्व में पलेई के वार्ड नंबर 5 व 6 के राजपूत मोहल्ला, मीणा मोहल्ला, नाथों का मोहल्ला, बैरवा मोहल्ला अनाड़ी मोहल्ला के ग्रामीणों ने तहसीलदार गुर्जर को बताया कि कई दिनों से गांव में पेयजल समस्या बनी हुई है नलों में पानी केवल नाम मात्र ही आता है जिससे लोगों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। इसके लिए कई बार ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को भी अवगत करवाया लेकिन इस भीषण गर्मी में पानी की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल समस्या का समाधान 7 दिन में नहीं किया गया तो ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के बाहर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

इस अवसर पर प्रहलाद अनाड़ी, रामप्रसाद मीणा, गोविंद अनाड़ी, हनुमानप्रसाद शर्मा, बुधराम चौधरी, जितेंद्र सिंह, गिर्राज मीणा, भंवर सिंह, बृजमोहन चौधरी, दयाराम मीणा, शंकर अनाड़ी, हरिशंकर मीणा, गजेंद्र सिंह, चंद्रप्रकाश मीणा व श्योजीराम मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

गांव पलेई में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए तहसीलदार गुर्जर।

RAJASTHAN REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY
2nd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-30200
Phone No.: 0141-2851900, Website: http://rera.rajasthan.gov.in
No.F-5(3180)/RERA/Comp./2022 To,Jaipur, dated:

To,
NOTICE FOR HEARING
Shivaay Affodable Homes616,617,618,619C-24-C HSB House, 2nd Floor, C-24-C, Bhagwan Das Road, C-scheme Jaipur Rajasthan 302017, Email-avinashdewan@rocketmail.com

Sub: Complaint No. RAJ-RERA-C-N 2022- 5259 titled HEENA HARISH SAGAR V/S Shivaay Affodable Homes.

Sir, Whereas the above named complainants have made complaints to this court under section 31 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.Vide order dated 01.02.2024 this Authority has directed to hand over possession of Flat A-131, Residential Project under CM Jan Avas Yojna named as Gulmohar Park, Jagatpura, Jaipur but you have not complied the same as yet.Whereas, the complainant has filed an application alongwith draft sale deed for direction for execution of sale deed of the aforesaid unit as per order dated 01.02.2024.You are, therefore directed to appear in person or through authorised representative. or counsel for hearing before the Authority on 26 May, 2025 at 11.00 AM to show cause as to why sale deed be not executed in favour of complainant.If you fail to appear for hearing on the given date and time, necessary orders will be passed in accordance with Law, without further notice.Given under my hand and the seal of the court, this ... day of any, 2025.

By order, Deputy Registrar (Court)

आम सूचना दि. 22.05.2025

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री ई एस वी नारायन पुत्र ई अन्जनायलु निवासी 37- 70/ सी- 10बी, जे जे नगर, सैनिकपुरी, हैदराबाद, तेलंगाना के स्वामित्व की एक कृषि भूमि खसरा संख्या 8229/ 3964 रकबा 0.3800 हैक्टेयर और खसरा संख्या 8231/3965 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, ग्राम अचरोल तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। मेरे अभिभाष्य के द्वारा उक्त कृषि भूमि को किसी भी व्यक्ति को स्वयं अथवा मुख्तारआम के माध्यम से विक्रय नही किया गया है। प्यारेलाल पुत्र हरफूल सिंह, निवासी कनसूजिया की ढाणी, बजावा रावता का, बडा गांव, झुंझुनु और संजय सिंह राठोड पुत्र विजय सिंह, निवासी कनवारी, चुरु, राजस्थान के द्वारा छीपा मोहम्मद आसिफ यासीन भाई पुत्र यासीन भाई छीपा के साथ मिलकर फर्जी मुख्तारआम का निर्माण कर मेरे अभिभाष्य की उक्त कृषि भूमि का फर्जी विक्रयपत्र पंजीकृत करवा लिया गया है। उक्त फर्जी विक्रयपत्र को निरस्त करने हेतु मेरे अभिभाष्य के द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल कर दिया गया है और एक प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 56/2025 पुलिस थाना बनीपार्क, जयपुर में धोखाधडी और फर्जी कागजातों का कूटकरण करने के सम्बंध में दर्ज करा दी गई है। कोई भी व्यक्ति, बैंक, संस्था आदि यदि मेरे अभिभाष्य की उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में उपरोक्त व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन अथवा इकरारनामा करते है तो उसके सम्बंध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस व्यक्ति के स्वयं के जोखिम पर होगी। मेरे अभिभाष्य का उक्त लेन देन अथवा इकरारनामे से कोई लेना देना नही होगा अपितू मेरे अभिभाष्य के द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर कानुनी कार्यवाही की जावेगी और नुकसानी भी वसूल की जावेगी। सुचित रहें।

भवदीय- अमित सिकरिया एडवोकेट, मो. 9314807398

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4001653
क्रमांक : 1451 दिनांक: 14.05.2025

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 9/L/559 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल: 67.50 वर्गमीटर का आवंटन श्री संजय माणक बोहरा पुत्र राम प्रसाद को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1212 दिनांक 30.06.2009 जारी किया गया था। इसके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर षष्टम में दिनांक 26.12.2014 को करवाया गया। पंजीयन उपरान्त आवंटी श्री संजय माणक बोहरा ने उक्त आवास का बेचान श्री दिलीप टिक्कीवाल पुत्र श्री बाबूलाल टिक्कीवाल को कर, विक्रय पात्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर- प्रथम में दिनांक 01.01.2015 को करवाया गया। तत्पश्चात् श्री दिलीप टिक्कीवाल पुत्र श्री बाबूलाल टिक्कीवाल के द्वारा श्रीमती दामिनी टिक्कीवाल पत्नी श्री दिलीप टिक्कीवाल के पक्ष में उपहार पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 24.03.2018 को कराया गया। तत्पश्चात् श्रीमती दामिनी टिक्कीवाल पत्नी श्री दिलीप टिक्कीवाल के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्रीमती रविता मीना पत्नी श्री सतीश मीना को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक अष्टम में दिनांक 25.03.2021 को करवाया गया। श्रीमती रविता मीना पत्नी श्री सतीश मीना के द्वारा आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम क्रेता का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया गया है। अंत: नाम दर्ज करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक/ संस्था को कोई आपत्ती हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 07 दिवस मै व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती रचिता मीना पत्नी श्री सतीश मीना का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

संपदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ.म., जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 19(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025-283

चूंकि प्रार्थी श्री HARDAYAL, VILLAGE LADARIYA, NAGAUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास राजस्थान ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट फाउंडेशन, 10/49, Malviya Nagar, Jaipur-302017 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है। कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22.07.2025

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 3, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर
वाद संख्या Civil Suit/2784/2025

श्रीमती नीरा आपटे पत्नी श्री हरीश भडसावले उर्फ हरीश कुमार भडसावले, आयु 50 वर्ष, निवासी बी 51, जे. एम. जे. ज्वैलर्स के पास वाली गली, वैशाली नगर, जयपुर। वादीया

बनाम

(1) निमिषा भडसावले पुत्री श्री हरीश भडसावले उर्फ हरीश कुमार भडसावले, आयु 22 वर्ष, निवासी बी 51, जे. एम. जे. ज्वैलर्स के पास वाली गली, वैशाली नगर, जयपुर।
(2) आम जन साधारण

वाद बाबत घोषणा करवाये जाने सिविल मृत्यु
बनाम- आम जन साधारण

उक्त वादीया ने इस न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र श्री हरीश भडसावले उर्फ हरीश कुमार भडसावले, निवासी बी 51, जे. एम. जे. ज्वैलर्स के पास वाली गली, वैशाली नगर, जयपुर, जो पिछले सात वर्ष से भी अधिक समय से लापता है, जिसकी इस अवधि के दौरान किसी भी ने कोई खबर या जीवित होने की सूचना नहीं दी जिस बाबत वादीया ने उनकी सिविल मृत्यु घोषित किये जाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अत: एतद द्वारा आम जन साधारण को सूचना दी जाती है कि श्री हरीश भडसावले उर्फ हरीश कुमार भडसावले की सिविल मृत्यु की घोषणा न्यायालय द्वारा की जाने में किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 31.05.2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जाहिर करे।
यह आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।

मुहर

प्रस्तुतकार
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-3
जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सहायक कलेक्टर क्रम-2, जयपुर
सोनी देवी बनाम सुआ लाल अन्य
वाद बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं.
टी आई संख्या

बनाम
1 राम सहाय पुत्र कल्याण
2 बद्री पुत्र कल्याण
3 सीताराम पुत्र रामनाथ
4 मंजू देवी पुत्री स्व. जगन्नाथ
निवासीगण ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
5 सुनीता चन्द्रालिया पुत्री बलवन्त, निवासी गंगवल पार्क, जयपुर
6 बी.पी.जी. फ्लीसर पुत्र श्री के.पी. फ्लीसर डायरेक्टर मैसर्स सिल्वर लेक रिसीटर्स प्रा. लि. कम्पनी पंजीकृत कार्यालय बी-360, हिम्मत नगर, गोपालपुरा रोड़ टोंक रोड़, जयपुर जरिये डायरेक्ट

वादी ने आपके विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तरीख 26 माह 5 सन् 2025 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होन के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयें या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रशनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं, पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 21 माह 5 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

सहायक कलक्टर
जयपुर शहरी द्वितीय

खोया-पाया

दिनांक 24.4.2005 को भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की रिद्धि-सिद्धि नगर-सी योजना के आवासीय भूखंड स.डी-12 एवं दुकान न.डी-24 एवं D-25 के मूल सोसायटी पट्टे एवं ट्रांसफर सेट हस्ताक्षर युक्त टोडी रोड, हरमाडा के आसपास गुम गये। मिलने पर सूचित करें। 7014369827

मेरे मकान संख्या G-23, मधुबन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर के मूल अलोटमेंट लैटर, साईट प्लान, पेमेंट रसीद व सोसा यटी पट्टा जो बजाज नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये थे। कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें। संदीव भट्नागर- 9829056538

आवास संख्या 21/221, मानसरोवर जयपुर का मूल आवंटन नियमितीकरण एवं अदेय प्रमाण, कब्जा पत्र, व अन्य संबंधी दस्तावेज गिर/गुम हो गये मिलने पर सूचित करे।
हरीश भाटिया मो. 9982743252

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-14/2025/973 दिनांक:- 22.05.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मनन चौधरी पुत्र श्री राघवेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा निजी खातेदारी की योजना सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस के भू. सं. बी-59 क्षेत्रफल 295.55 वर्ग गज का नाम हस्तान्तरण पत्र चाहने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220044 दिनांक 30.04.25 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	समिति का नाम/निजी खातेदारी/अधिक	योजना का नाम	प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री मनन चौधरी पुत्र श्री राघवेन्द्र सिंह चौधरी	बी-59	295.55 वर्ग गज	निजी खातेदारी	सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस	मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा, पंजीकृत हकत्याग पत्र, आदि।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था / व्यक्ति / हितधारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर :
DEV/JAIPUR-I / TRUST / 2025/308

चूंकि प्रार्थी श्री KAILASH CHAND DIXIT, WARD NO. 09, BILANDARPUR TEHSIL SHAHPURA, JAIPUR, RAJASTHAN 303803 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यासश्री नृसिंह मंदिर सेवा ट्रस्ट, GRAM BILANDARPUR TEHSIL SHAHPURA, DISTRICT JAIPUR, RAJASTHAN 303803 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है,में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता हैकि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदिकोई हो प्रस्तुत करे।और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।आज दिनांक 22-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।आइदा तारीख पेशी 29/07/2025

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला अजमेर (राज)

क्रमांक/नपकि/स्टोर/2025/ 86 दिनांक 19.05.2025

ई-निविदा सूचना संख्या - 05/2025-2026

नगर परिषद के समय-समय पर विशेष शिविरों, सरकारी उपलब्धियों नीलामी स्कीमों राष्ट्रीय पर्वो, त्यौहारों इत्यादि कार्यकमों पर विभिन्न साईजों के होर्डिंग बैनर बनाने व लगाने का कार्य हेतु सामग्री क्रय/सेवाओं में इच्छुक एवं अनुभवी संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योर्मेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन दर संविदा हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 22.05.2025 को प्रातः 09.00 बजे से तथा प्राप्त करने की दिनांक 02.06.2025 को सायं 06.00 बजे तक एवं निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ व https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

यूबीएन नं. DLB2526A1570 — सभापति, नगर परिषद, किशनगढ़ — आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़
राज.संवाद/सी/25/2889

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
सार्वजनिक सूचना
क्रमांक : पट्टा शा०/न.नि.भ./2025-26/3109-10 दिनांक : 21.05.2025

रीजनल सैटलमेंट कमिश्नर राज० जयपुर द्वारा श्री ठाकुर सिंह पुत्र मिठ्टा सिंह, जाति सिख, निवासी मथुरा गेट बाहर गोलबाग रोड, भरतपुर को कस्टोडियन भूमि नं. 30 वार्ड नं. 2 मथुरा गेट बाहर, भरतपुर क्षेत्रफल 275 का आवंटन किया गया था। श्री ठाकुर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की पंजीकृत वसीयत 22.02.1994 के द्वारा अपनी पत्नि दुर्गादेवी व अपने पुत्रगण श्री गुरमुख सिंह, राजेश सिंह, अमरसिंह, साधु सिंह व पुत्री पदमी को कर दिया गया। श्री ठाकुर सिंह एवं उनकी पत्नि श्रीमती दुर्गादेवी का स्वर्गवास हो चुका है।तदोपरान्त श्री गुरमुख सिंह, राजेश सिंह, अमरसिंह, साधु सिंह पुत्रगण स्व. ठाकुर सिंह व पदमी उर्फ परमजीत कौर द्वारा नाम हस्तान्तरण कराने हेतु शपथ पत्र, वसीयतनामा की प्रति प्रस्तुत की है।निगम द्वारा नाम हस्तान्तरण की अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नाम हस्तान्तरण आवेदकान् के पक्ष में किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
सार्वजनिक सूचना
क्रमांक : पट्टा शा०/न.नि.भ./2025-26/3237-230 दिनांक : 23.05.2025

रीजनल सैटलमेंट कमिश्नर राज० जयपुर द्वारा श्री हरदास सिंह पुत्र बसना सिंह, जाति सिख, निवासी मथुरा गेट, भरतपुर को कस्टोडियन भूमि नं. 27 वार्ड नं. 2 मथुरा गेट बाहर, भरतपुर क्षेत्रफल 98.99 वर्गगज का आवंटन किया गया था। श्री हरदास सिंह उर्फ हरीसिंह द्वारा में उक्त भूमि की पंजीकृत वयनामा दिनांक 24.02.1994 से श्री जयशंकर शर्मा पुत्र श्री हुकम सिंह, निवासी गोलबाग रोड, भरतपुर को विक्रय कर दिया गया।तदोपरान्त श्री जयशंकर शर्मा की मृत्यु दिनांक 29.04.2000 को हो जाने के उपरान्त उनके वारिसानों में श्रीमती प्रतिभा शर्मा पत्नि स्व. श्री जयशंकर शर्मा, श्रीमती नेहा शर्मा पुत्री स्व० श्री जयशंकर शर्मा पत्नि श्री लोकेश कुमार द्वारा अपना हक जरिये पंजीकृत रिलीजडीड दिनांक 13.02.2025 से अपने पुत्र/भाई श्री पियूष शर्मा पुत्र स्व० श्री जयशंकर शर्मा निवासी 324, सूर्यासिटी, आगरा रोड, भरतपुर के पक्ष में कर दिया गया है।अब आवेदक श्री पियूष शर्मा द्वारा नाम हस्तान्तरण कराने हेतु शपथ पत्र, वयनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीजडीड की प्रति प्रस्तुत की है।निगम द्वारा नाम हस्तान्तरण की अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नाम हस्तान्तरण आवेदक के पक्ष में किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर

न्यूक्लिर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORRPRATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की पर्यावरण मंजूरी
environment clearance of mahi banswara rajasthan atomic power project

ईएसी (एनएंडडी) की सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 19/05/2025 को एनपीसीआईएल द्वारा माही-बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एमबीआरएपीपी) 4X700 डब्ल्यूएमई पीएचडब्ल्यूआर (प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर) जिला-बांसवाड़ा, राज्य-राजस्थान को ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची 1 (ई) के तहत कवर किए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में विशिष्ट शर्तों के अधीन पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.npcil.nic.in/ पर जाएं।

in the basis of recommendation of the eac (nsd), the ministry of enricoment, forest and climate change (moefscc)has accorded environmental clearance to mahi-banswara rajasthan atomic powar plant (mbrapp) 4x700 wme phwr (pressurised heavy water reactor) district-banswara, state-rajasthan by npcil on 19/05/2025 w.r.t. the nuclear power plant covered under schedule 1(e) of eia notification, 2006 subject to specific conditions. for ,ore details kindly visit https://www.npcil.nic.in/.

परियोजना निदेशक (एमबीआरएपीपी) — project director (MBRAPP)
cbc48157/12/0001/2526